E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 3, Issue- 11 | November 2026

# प्रजनन न्याय या शोषण? भारत में ग़रीब महिलाओं पर सरोगेसी और उसके प्रभाव का एक आलोचनात्मक सामाजिक-कानूनी विश्लेषण

**किरण बाला[1], डॉ. महेन्द्र सिंह [2]**

[1] मूल लेखिका, सहायक प्राध्यापक, रयात कॉलेज ऑफ लॉ, रेलमाजरा।

[2] हिंदी अनुवादक, सह-प्राध्यापक (अनुवाद में पीजी डिप्लोमा), रयात कॉलेज ऑफ लॉ, रेलमाजरा।

**सारांश**

सहायक प्रजनन तकनीकों (Assisted Reproductive Technologies) की शुरूआत, खासकर सरोगेसी, एक चिकित्सा-कानूनी और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में विकसित हुई है। कम चिकित्सीय खर्च और प्रतिबंधों की कमी के कारण, भारत कभी व्यावसायिक सरोगेसी के लिए प्रसिद्ध स्थान था। इस प्रथा से जुड़े प्रश्न जैसे कि सरोगेट माताओं का शोषण, महिला शरीर का व्यावसायीकरण, सूचित सहमति की कमी और प्रजनन असमानताएँ उभरीं। इसे नियंत्रित करने के लिए, 2021 में सरोगेसी (नियमन) अधिनियम पारित किया गया ताकि व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक लगाई जा सके और सरोगेसी के निःस्वार्थ अभ्यास की अनुमति दी जा सके। यह अधिनियम संविधान, प्रजनन स्वायत्तता, समानता, गरिमा और पेशे की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को सामने लाता है। सामाजिक-कानूनी और सैद्धांतिक दृष्टिकोण का उपयोग करके और विभिन्न कानूनों का विश्लेषण करके, न्यायिक निर्णय , नारीवादी लेखकों के तर्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यह पेपर यह तर्क देता है कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर कुल प्रतिबंध उन गहरी जड़ें वाली असमानताओं को दूर नहीं करता जो आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाएँ सामना करती हैं और एक ऐसा नियामक मॉडल प्रस्तावित करता है जो स्वायत्तता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करता है।

**मुख्य शब्द**: सरोगेसी, प्रजनन न्याय, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART), प्रजनन स्वायत्तता, महिलाओं के अधिकार, संविधानिक कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भारत।

## 1. भूमिका :

परिवार को पारंपरिक रूप से समाज की नींव माना गया है, जो मानव गरिमा, पीढ़ियों की निरंतरता और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा हुआ है। प्रजनन का कार्य मानव अस्तित्व का एक प्राकृतिक तत्व है और इसे पारंपरिक रूप से विवाह और पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में देखा जाता रहा है। लेकिन, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। सहायक प्रजनन तकनीकें (ART), खासकर सरोगेसी, ने मातृत्व, पितृत्व और पारिवारिक संरचनाओं की धारणाओं को बदल दिया है क्योंकि ये उन लोगों को भी माता-पिता बनने का मौका देती हैं जो जैविक रूप से संतान नहीं पैदा कर सकते[1]। सरोगेसी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें एक महिला अन्य माता-पिता के लिए बच्चा पैदा करने के लिए सहमति देती है, चाहे वह पारंपरिक हो या गर्भाधान सरोगेसी[2]। गर्भाधान सरोगेसी में, सरोगेट माँ का बच्चे के साथ कोई आनुवंशिक संबंध नहीं होता, क्योंकि भ्रूण आई वी एफ के माध्यम

Published: 04 November 2026
DOI: https://doi.org/10.68504/SPIJSH.2026.v3.i11.45952
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

[1] जॉन ए. रॉबर्टसन,चिल्ड्रन ऑफ चॉइस: स्वतंत्रता और नई प्रजनन तकनीकें 67 (1994)I

[2] पी.के. गुप्ता, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव तकनीकें और कानून 45 (2012)I

से बनता है जिसमें इच्छुक माता-पिता या दानदाताओं के अंडाणु और शुक्राणु का उपयोग किया जाता है। बाद में, सरोगेसी ने निजी प्रजनन क्षमता प्रयासों से एक अंतरराष्ट्रीय, व्यावसायिक श्रृंखला में रूप ले लिया जिसमें प्रजनन क्षमता चिकित्सालय,अनुबंध मध्यस्थ, कानूनी दस्तावेज़ और चिकित्सा यात्रा शामिल हैं। भारत 2000 के दशक की शुरुआत में व्यावसायिक सरोगेसी का केंद्र बन गया[3]। प्रक्रियाओं की कम लागत, क़ानून का अभाव, कुशल चिकित्सीय कर्मचारी, और व्यापक सामाजिक-आर्थिक असमानताओं ने प्रजनन उद्योग को फलने-फूलने में मदद की। बड़ी संख्या में विदेशी इच्छुक माता-पिता सरोगेसी व्यवस्थाओं के लिए भारत आए क्योंकि यहां की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम थी[4]। इसके कारण, कई विद्वानों के अनुसार, भारत दुनिया की 'सुरोगेसी राजधानी' बन गया[5]।

वाणिज्यिक सरोगेसी की बढ़ते हुए उधोग ने कई नैतिक और कानूनी समस्याएँ पैदा कीं। आलोचक, खासतौर पर नारीवादी और मानवाधिकार समूहों से, इसका यह तर्क देते थे कि वाणिज्यिक स्तर पर सरोगेसी असहाय महिलाओं को केवल विशेष वर्ग के प्रजनन के साधन के रूप में सीमित करती है, और सरोगेसी के लिए एक बाज़ार बनाती और बनाए रखती है[6]। शोषणकारी सरोगेसी अनुबंध, स्वास्थ्य समस्याएं, सरोगेटमाताओं का प्रसूति और उनकी अनजान स्थिति जैसी बातों ने कई आवाज़ें उठाईं, जो राज्य से हस्तक्षेप की मांग कर रही थीं। इसके अलावा, संवैधानिक विशेषज्ञों का यह तर्क था कि सरोगेसी के व्यावसायिकरण पर राज्य का प्रतिबंध और इसके फलस्वरूप लागू होने वाले प्रतिबंधात्मक कानून सरोगेट माताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं[7]। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 का काम सरोगेसी को लेकर मौजूदा समस्याओं को हल करने का एक विधायी प्रयास था, जिसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध और निस्वार्थ सरोगेसी की दिशा खोलना शामिल था[8]।

हालांकि यह कानून शोषण और व्यपारीकरण  को रोकने का लक्ष्य रखता था, आलोचक कहते हैं कि इसमें एक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। उनका मानना है कि यह गरीबी, लिंग असमानता और प्रजनन श्रम की असली समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करता[9]। मुआवजे पर प्रतिबंध शोषण को रोक नहीं सकता; इसके बजाय, यह सरोगेसी को भूमिगत और अनियमित क्षेत्रों में धकेल सकता है। यह शोधपत्र भारत में सरोगेसी के सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर करीब से नजर डालता है, खासकर गरीब महिलाओं पर इसके प्रभाव को। यह सवाल उठाता है कि क्या वर्तमान नियम प्रजनन न्याय का समर्थन करते हैं या नैतिकतावादी कानूनी मानसिकता के जरिए संरचनात्मक शोषण को जारी रखते हैं। यह शोधपत्र संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक बदलावों, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रभावों, नारीवादी दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय तुलना की भी पड़ताल करता है। इसका उद्देश्य सरोगेसी विनियमन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुझाना है जो अधिकारों की रक्षा करे।

2. सरोगेसी का विकास और भारत का वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना:

[3] समा-रेस। महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए समूह, एक बाजार का जन्म: वाणिज्यिक सरोगेसी पर एक अध्ययन (2012)I

[4] ग्लेन कोहेन, पासपोर्ट वाले मरीज: मेडिकल टूरिज्म, कानून और नैतिकता 123 (2015)I

[5] अमृता पांडे, भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी: एक परफेक्ट माँ-कर्मचारी का निर्माण, 35 साइंस जर्नल ऑफ विमेन कल्चर एंड सोसाइटी 969 (2010)I

[6] डेब्रा सैट्ज, क्यों कुछ चीज़ें बिक्री के लिए नहीं होनी चाहिए 98 (2010)I

[7] पांडे, ऊपर नोट 5I

[8] सरोगसी (नियमन) अधिनियम, 2021, क्रमांक 47, 2021, इंडिया कोड।

[9] समा-रेस। महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए समूह, एक बाजार का जन्म: वाणिज्यिक सरोगेसी पर एक अध्ययन (2012)।

बांझपन विश्व स्तर पर एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गया है। देरी से विवाह, बदलती जीवनशैली, पर्यावरणीय दबाव, प्रजनन संबंधी परेशानियाँ और घटती प्रजनन दर जैसी चीज़ों ने सहायक प्रजनन तकनीकों की जरूरत बढ़ा दी है[10]। जैसे-जैसे चिकित्सा विज्ञान में प्रगति हुई, आईवीएफ और गर्भावस्था सरोगेसी उन व्यक्तियों और जोड़ियों के लिए वैकल्पिक विकल्प बन गए जो बांझपन का सामना कर रहे थे।

भारत जल्दी ही सरोगेसी के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया, इसके कई कारण थे। सबसे पहले, भारत में सरोगेसी की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है[11]। दूसरा, भारत के पास मजबूत चिकित्सा संरचना और कुशल प्रजनन विशेषज्ञ हैं। तीसरा, 2021 से पहले, कठोर कानूनों की कमी के कारण प्रजनन क्लिनिक कम कानूनी निरीक्षण के साथ संचालित हो सकते थे[12]।

प्रजनन पर्यटन के बढ़ने से एक व्यवस्थित बाजार बन गया जिसमें प्रजनन क्लिनिक, कानूनी मध्यस्थ, एजेंट, सरोगेट हॉस्टल और अंतरराष्ट्रीय ग्राहक शामिल थे। इस उद्योग ने खासकर गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर तो पैदा किए, लेकिन इससे शोषण और नियमों की चिंता भी बढ़ गई[13]। रिपोर्ट्स में कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं, दबाव वाले अनुबंध, स्वतंत्र कानूनी सलाह की कमी, अनावश्यक सीज़र सेक्शन और सरोगेट माताओं को निगरानी वाले हॉस्टल में रखा जाना सामने आया। वाणिज्यिक सरोगेसी ने नागरिकता, राष्ट्रीयता, पालन-पोषण, अभिभावकत्व और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अनुबंध की मान्यता जैसी कानूनी उलझनों को भी उजागर किया। इन मामलों के चलते आखिरकार न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और कानून में बदलाव हुआ[14]।

3. भारत में सरोगेट माताओं की सामाजिक-आर्थिक रुपरेखा :

शोध से पता चलता है कि भारत में अधिकांश सरोगेट माताएँ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आती हैं, अक्सर कम आय, सीमित शिक्षा, अस्थिर नौकरियों और कम सामाजिक गतिशीलता से जूझ रही होती हैं[15]। कई महिलाएँ सरोगेसी को कर्ज चुकाने, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने, घर की व्यवस्था सुनिश्चित करने, या अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक तरीका मानकर चुनती हैं।

कई लोगों के लिए, सरोगेसी से मिलने वाली भुगतान नियमित काम की आय के कई सालों के बराबर हो सकती है[16]। इससे सरोगेसी आर्थिक प्रगति और स्वतंत्रता पाने का एक तरीका लगती है। हालांकि, हमें इस फैसले की स्वैच्छिकता को व्यापक संरचनात्मक असमानता के संदर्भ में गंभीरता से आंकना चाहिए।

गरीबी, लिंगभेद, सीमित नौकरी के अवसर, और पितृसत्तात्मक सामाजिक सिस्टम महिलाओं की बातचीत करने की क्षमता को बहुत हद तक सीमित कर देते हैं[17]। गर्भाधान क्लीनिक्स या कमिशनिंग पेरंट्स अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते

[10] यूएनएफपीए, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट (2018)I

[11] ग्लेन कोहेन, पासपोर्ट वाले मरीज: मेडिकल टूरिज्म, कानून और नैतिकता 123 (2015)।

[12] भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारत में ART क्लीनिकों के प्रत्यायन, निगरानी और नियमावलियों के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (2005)।

[13] पांडे, ऊपर नोट 10।

[14] वही। पृ. 89–95।

[15] समा-रेस। महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए समूह, एक बाजार का जन्म: वाणिज्यिक सरोगेसी पर एक अध्ययन (2012)I।

[16] वही।

[17]सट्ज़ , ऊपर नोट 6I

हैं, जिससे सरोगेट माताओं के पास स्वास्थ्य देखभाल, वेतन, बीमा, या गर्भाधान के बाद समर्थन से जुड़े नियमों पर बातचीत करने की बहुत कम ताकत होती है[18]। इससे असंतुलन पैदा होता है और निर्भरता और बढ़ जाती है।

संस्थागत प्रथाएं स्वतंत्रता के विचार को थोड़ी पेचीदा बना देती हैं। नृविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि कई सरोगेट मदर्स को हॉस्टल भेजा जाता है, जहां उनकी हर हरकत, खाना, मेडिकल रूटीन और सामाजिक बातचीत पर कड़ी निगरानी होती है[19]। ये हालात प्रजनन श्रम को एक नियंत्रित सेवा में बदल देते हैं, जो मेडिकल और व्यावसायिक दिलचस्पी से चलती है। हालांकि सरोगेसी थोड़े समय के लिए पैसों की कमाई दे सकती है, इसकी सामाजिक और आर्थिक हकीकतें असली सहमति, सम्मान, और शोषण के बड़े सवाल खड़े करती हैं।

4. सरोगेसी पर न्यायिक दृष्टिकोण: पूर्व निर्णयों का विश्लेषण:

(ए) बेबी मांजी यामादा बनाम भारत संघ[20]

सुप्रीम कोर्ट का बेबी मांजी यामादा बनाम भारत संघ में फैसला उन शुरुआती मामलों में से था जहां भारतीय अदालतों ने देश के बाहर के सरोगेसी को हैंडल किया। इस मामले में एक जापानी जोड़े ने भारत में सरोगेसी का इंतजाम किया था, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही उनका तलाक हो गया। इससे अभिरक्षा, राष्ट्रीयता और अभिभावकत्व के सवाल उठे। हालांकि कोर्ट ने वाणिज्यिक सरोगेसी की कानूनी वैधता पर सीधे निर्णय नहीं दिया, लेकिन इस प्रथा को मान्यता दी और इसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय सरोगेसी के जरिए जन्मे बच्चों की नागरिकता और कल्याण  से जुड़े कानूनी मुद्दों पर ध्यान खींचा।

(बी) जान बालाज़ बनाम आनंद नगरपालिका[21]

जान बालाज़ बनाम आनंद नगरपालिका में, गुजरात हाईकोर्ट ने जर्मन माता-पिता के माध्यम से सरोगेसी से पैदा हुए जुड़वाँ बच्चों की राष्ट्रीयता और मातृत्व के मुद्दों को संबोधित किया। कोर्ट ने फैसला किया कि बच्चों को भारतीय पासपोर्ट/ पार पत्र मिलना चाहिए क्योंकि वे एक भारतीय सरोगेट मां से पैदा हुए थे। यह निर्णय राष्ट्रीयता कानूनों में महत्वपूर्ण खामियों को सामने लाया और दिखाया कि कैसे विरोधाभासी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था  सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों को कानूनी अनिश्चितता या किसी भी राष्ट्रीयता के बिना छोड़ सकते हैं।

(सी) सुछिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन[22]

सुछिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रजनन स्वायत्तता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अहम हिस्सा मान्यता दी। अदालत ने कहा कि प्रजनन से जुड़े विकल्प शारीरिक अखंडता और व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए जरूरी हैं। हालाँकि इस केस में सरोगेसी पर सीधे तौर पर बात नहीं की गई थी, लेकिन इसका संवैधानिक तर्क प्रजनन स्वतंत्रता और प्रजनन विकल्पों पर राज्य के नियंत्रण के बारे में मौजूदा चर्चाओं पर काफी असर डालता है।

(डी) जस्टिस के.एस. पुट्टसवामी बनाम भारत संघ[23]:

[18] पांडे, ऊपर नोट 6।

[19] वही।

[20] बेबी मंज़ी यमाडा बनाम भारत संघ, (2008) 13 एस.सी.सी. 518 (भारत)।

[21] जान बालाज बनाम आनंद नगर पालिका, ए.आई.आर. 2010 गुजर. 21 (भारत)।

[22] सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, (2009) 9 एस.सी.सी. 1 (भारत)।

[23] न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एस.सी.सी. 1 (भारत)।

प्रजनन स्वायत्तता को मान्यता देने का संवैधानिक आधार जस्टिस के.एस. पुट्टसवामी बनाम भारत संघ के मामले में और मजबूत हुआ। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। इस फैसले ने गोपनीयता को गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और अपने फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता से जोड़ा।

प्रजनन से जुड़े फैसले, जैसे कि सरोगेसी में भाग लेना, इस संरक्षित संवैधानिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसलिए, प्रजनन विकल्पों में ज्यादा सरकारी दखल संवैधानिक रूप से विवादास्पद हो सकता है।

(ई) अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ[24]

अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी कानूनों को एक बेहतर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से समझाया। इसने कुछ कानूनी शर्तों में ढील दी, साथ ही माता-पिता बनने की नीयत के महत्व पर जोर दिया। इस फैसले से पता चलता है कि सख्त कानूनी नियम प्रजनन अधिकारों और परिवार बनाने की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं।

5. 2021 के सरोगेसी (नियमन) अधिनियम के संवैधानिक चुनौती:

2021 के सरोगेसी (नियमन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता अभी भी गर्म बहस का विषय है।

(ए) अनुच्छेद 14: समानता और भेदभाव रहित अधिनियम में अकेले व्यक्ति, अविवाहित जोड़े और एलजीबीटीक्यू लोगों को पात्रता मानदंड से बाहर करने के कारण, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है[25]। अधिनियम द्वारा किए गए वर्गीकरण को मनमाना और संवैधानिक कानून की बदलती समझ के अनुरूप नहीं माना जा सकता, जो विभिन्न पारिवारिक संरचनाओं को मान्यता देती है।

(बी) अनुच्छेद 19(1)(ग): पेशेवर स्वतंत्रता

मुआवजे पर रोक पेशेवर स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण चिंता उठाती है[26]। अगर प्रजनन कार्य को वैध श्रम माना जाए, तो मुआवजे पर पूरी तरह से रोक लगाना आजीविका और आर्थिक स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध हो सकता है।

(सी) अनुच्छेद 21: निजता, गरिमा, और प्रजनन स्वायत्तता

कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अनुच्छेद 21[27] द्वारा सुरक्षित प्रजनन स्वायत्तता का उल्लंघन भी कर सकते हैं। कानूनी मिसालें बढ़-चढ़ कर मानती हैं कि प्रजनन संबंधी विकल्प, शारीरिक अखंडता, और परिवार गठन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अंतर्गत आते हैं।

(डी) अनुपातिता का सिद्धांत

अनुपातिता का सिद्धांत कहता है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों का उद्देश्य वैध होना चाहिए और इसके लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक तरीके होने चाहिए[28]। आलोचक कहते हैं कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूरा प्रतिबंध असंगत है क्योंकि कम सीमित विकल्प, जैसे विनियमित मुआवजा प्राप्त सरोगेसी, शोषण रोक सकते हैं और वहीं स्वायत्तता की रक्षा भी कर सकते हैं।

[24] अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ, 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 100 (भारत)।

[25] भारत का संविधान, अनुच्छेद 14

[26] भारत का संविधान आर्टिकल 19, धारा 1(ग)।

[27] भारत का संविधान अनुच्छेद 21।

[28] मॉडर्न डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2016) 7 S.C.C. 353 (भारत)।

6. अंतरराष्ट्रीय तुलना दृष्टिकोण:

दुनिया भर के न्यायक्षेत्र सरोगेसी को विभिन्न तरीकों से संभाल रहे हैं।

यूके में, निःस्वार्थ सरोगेसी को स्वीकार किया जाता है, जबकि सरोगेसी व्यवस्थाओं अधिनियम 1985 व्यावसायिक लाभ की संभावना को प्रतिबंधित करता है[29]। जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो अदालतें कानूनी पेरेंटेज को इच्छुक माता-पिता को स्थानांतरित करने वाला एक पेरेंटल ऑर्डर जारी कर सकती हैं।

इसके विपरीत, अमेरिका एक 'विभिन्न' तरीका अपनाता है, क्योंकि गर्भाधान के कानून अलग-अलग राज्यों में तय होते हैं। कैलिफ़ोर्निया गर्भधारण समन्वय समझौतों की अनुमति देता है और सभी चीज़ों से ऊपर अनुबंध की स्वतंत्रता और अनुबंध की लागू होने की क्षमता को प्राथमिकता देता है। इसके बाहर के राज्यों में निषेध और प्रतिबंध लगाने पाए गए हैं। [30]

ये तुलना दिखाती है कि एक पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय एक नियामक व्यवस्था चलाना संभव है जो सरोगेट माँ और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखती हो।

7. प्रजनन न्याय या प्रजनन शोषण? एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण:

सुरोगेसी पर चर्चा का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या सुरोगेसी प्रजनन स्वतंत्रता का माध्यम है या प्रजनन शोषण का। जो लोग सुरोगेसी अधिकारों के पक्ष में हैं, वे यह मानते हैं कि महिलाओं को अपने शरीर पर और उनके बारे में होने वाले प्रजनन और आर्थिक फैसलों पर नियंत्रण होना चाहिए। समर्थकों के अनुसार, मुआवजा गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को सशक्त बनाने का तरीका माना जाता है; इसका इस्तेमाल उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने, बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने, कर्ज चुकाने या उचित आवास पाने के लिए किया जा सकता है[31]। महिलाओं को अपनी प्रजनन क्षमता का इस्तेमाल वेतन कमाने के लिए करने से रोकना को पितृसत्तात्मक रवैये के रूप में देखा जा सकता है।

हालांकि, 'वास्तविक स्वायत्तता को संरचनात्मक असमानता से अलग नहीं देखा जा सकता।' गरीबी, बेरोजगारी और लिंग के आधार पर भेदभाव की परिस्थितियों में किए गए निर्णयों को पूरी तरह से स्वतंत्र या सही नहीं माना जा सकता[32]। धनी कमिशनिंग माता-पिता और वाणिज्यिक प्रजनन क्लिनिक उनके मुकाबले बहुत अधिक सौदेबाजी की ताकत रखते हैं, जबकि सरोगेट्स अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं।

सरोगेसी (नियमन) अधिनियम 2021 में निहित परोपकारी ढांचा शोषण को मिटा नहीं सकता क्योंकि शोषण केवल मौद्रिक लेनदेन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह संरचनात्मक असमानताओं से जुड़ा होता है[33]। सरोगेसी भुगतान को रोकते हुए, यह कानून बाजार की मांग को बरकरार रखता है और इसके कारण एक अनियंत्रित बाजार और 'ग्रे एरिया' भी पैदा हो सकता है।

इसलिए, सशक्तिकरण बनाम शोषण की बहस किसी निर्वात में नहीं होती; यह सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, कानूनी ढांचे, स्वास्थ्य सुरक्षा, सौदेबाजी की स्थिति, अधिकार आदि से प्रभावित एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद रहती है।

---

[29] सुरोगेसी एरेंजमेंट्स एक्ट 1985, धारा 49 (यू.के.)।

[30] जॉनसन बनाम काल्वर्ट, 851 P.2d 776 (कैलिफ़ोर्निया 1993)।

[31] कोहेन, ऊपर नोट 4।

[32] पांडे, ऊपर नोट10।

[33] सट्ज़ , ऊपर नोट 6।

डी. दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना।

राज्य को निषेचित महिलाओं के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल के लाभ अनिवार्य करने चाहिए - गर्भधारण से पहले, गर्भावस्था के बाद, मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज।

ई. पात्रता मापदंड का विस्तार।

अविवाहित महिलाओं, LGBTQ+ व्यक्तियों को सरोगेसी से बाहर करने को फिर से आंका जाना चाहिए क्योंकि यह समानता और मानव गरिमा के सन्दर्भ में संविधान का उल्लंघन है।

एफ. संस्थागत नियम।

राष्ट्रीय/राज्य सरोगेसी बोर्डों को प्रजनन क्लीनिकों पर अधिक सख्त निगरानी, अनुपालन और नियामक शक्ति दी जानी चाहिए।

जी. सामाजिक-आर्थिक कल्याण उपाय।

राज्य स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी और लिंग असमानता जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को विभिन्न कल्याण योजनाओं और रोजगार व कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रावधान के माध्यम से राज्य द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।

8. निष्कर्ष:

भारत में सरोगेसी संवैधानिक अधिकारों, मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एथिक्स, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और जेंडर इक्वलिटी के बीच जटिल रास्तों का नतीजा रही है। सरोगेसी के शोषण और वस्तुवाद को रोकने के लिए, सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 ने इसे कमर्शियल मॉडल से पूरी तरह निःस्वार्थ मॉडल में बदल दिया। लेकिन, यह कानून प्रतिबंधवादी और पितृसत्तात्मक रुख अपनाता है और उन स्ट्रक्चरल रियलिटीज़ को नहीं देखता जो महिलाओं के प्रजनन विकल्पों को प्रभावित करती हैं। मुआवजे पर रोक लगाने से शोषण हमेशा नहीं रुकता, बल्कि ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है या अनियमित मार्केट की तरफ चला जाता है, और पूरी तरह अनियमित मार्केट में वस्तुवाद, हेल्थकेयर का दुरुपयोग और अनुबंधात्मक शोषण के गंभीर मामले हो सकते हैं। इसलिए एक ऐसा संविधानिक संतुलित दृष्टिकोण  बनाना जरूरी है, जिसमें प्रतिबंध और वाणिज्यीकरण के बीच मेँ मध्य रास्ता निकाला जा सके। सरोगेट एक निष्क्रिय पीड़ित या जैविक मशीन नहीं हो सकती, बल्कि एक ऐसी महिला होनी चाहिए जिसे अधिकार, मानव गरिमा, समानता, स्वास्थ्य देखभाल, सूचित सहमति, आर्थिक स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा का हक हो। आखिरकार, समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हिस्सों की महिलाएं तब ही अपनी प्रजनन संबंधी पसंद का इस्तेमाल कर सकती हैं, जब उनकी प्रजनन क्षमताएँ केवल आजीविका का साधन न बन जाएं और उनके साथ पर्याप्त कल्याण उपाय, रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और सभी अन्य कारक हों जो फ़ैसलों को निष्पक्ष और नैतिक तरीके से प्रभावित करते हैं। केवल तब जब एक परोपकारी लेकिन संवैधानिक रूप से मजबूत और सामाजिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील ढांचा तैयार होता है, तो महिलाओं की गरिमा और अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं।

**प्रकाशकीय टिप्पणी:**

प्रस्तुत शोधपत्र मूल लेखिका किरण बाला द्वारा अंग्रेज़ी में प्रकाशित शोधपत्र का हिंदी अनुवाद है, जिसका अनुवाद डॉ. महेन्द्र सिंह ने किया है। मूल शोधपत्र का शीर्षक “Reproductive Justice or Exploitation? A Critical Socio-Legal Analysis of Surrogacy and Its Impact on Poor Women in India” है, जो The Academic: International Journal of Multidisciplinary Research, खंड 4, अंक 6, पृष्ठ 43–52 (2026) में प्रकाशित हुआ है। मूल प्रकाशन का DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21389666 है।